

फर्दना नम्बर :- 72/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

म
ख्या

दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही
02.09.2024

प्रार्थी की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई अंतरिम बहस को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही हैं।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राज0काश्त0 अधिनियम- 1955 का अवलोकन किया गया, दस्तावेजात नकल जर्माबन्दी, प्रार्थी का शपथ पत्र का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने एवं अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2438/186 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम बाढावाली, पटवार हल्का ढोढसर, तहसील चौमू, जिला जयपुर के किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त अन्तरिम टी0आई0 आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बन्धी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।

चूंकी एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थी को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

प्रार्थी वकील को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व रजि0 एडी0 के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश कि तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। उक्त आदेश से यदि आप्रार्थीगण को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 20.09.2024 को 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस मय आदेश जारी कर पत्रवाली वास्ते देखने तामील दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)

दिनांक 7/2/2024
 काननाराम बनारस परिवारिलाल
 प्रसाहडिग ऑफिसर : गीवकास
 पर है। अतः आग्रह का क्याही हेतु
 दिनांक.....
 को पेश हो।

20/9/24 क. प्रार्थी (डपॉ) पत्रावली के (डा. प्रार्थी) के हेतु (समस्त तलकाण पेश हुआ) नोटिस पत्रों के पत्रावली का तलकी दिनांक 08/11/24 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर चौमू
 जौनपुर (ग्रामीण)

08/11/24
 Note mes
 प्रार्थी
 (जयपुर)

पत्रावली - पेश हुई। वकील प्रार्थीने पत्रावली के नोटिस पर पत्रावली के लिए समयवधि का ध्यान रखकर निवेदन किया। पत्रावली न्यायलोकत किया गया। पत्रावली नोटिस पर कार्रवाई की जाती है। पत्रावली के दिनांक से एक दोसरा दिनांक इत्यादि

सहायक कलेक्टर
 चौमू (जयपुर)